दिल्ली स्टेट हार्टीकल्चर मिशन सोसायटी

विकास विभाग : दिल्ली सरकार
5/9, अंडर हिल रोड़, दिल्ली–110054

रूचि की अभिव्यक्ति

दिल्ली राज्य बागवानी मिशन सोसायटी, सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत निकाय है जो कि कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की राष्ट्रीय बागवानी मिशन के कार्यक्रम क्रियान्वित हेतू नियुक्त है और इसके अंतर्गत दिल्ली में बागवानी फसलों के क्षेत्र विस्तार, उत्पादन तथा अन्य ढाँचागत सुविधाओं, गतिविधियों, मानव संसाधन विकास सहित बागवानी फसलों से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि को किया जा रहा हैं।

दिल्ली राज्य बागवानी मिशन सोसायटी द्वारा केन्द्र, राज्य सरकार अथवा इनके उपक्रमों, कृषि विश्वविद्यालय, शैक्षणिक, शोध संस्थाओं सहकारी संस्थाओं, एजेसियों, पंजीकृत फर्मो, कंपनी, गैर सरकारी संगठन, दिल्ली में पंजीकृत सेवा उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं की ओर से, जिनके पास पर्याप्त तकनीकी कर्मी, विशेषज्ञ, उपयुक्त प्रशिक्षण स्थल तथा प्रशिक्षण हेतु ढॉचागत सुविधाऐं हों, की ओर से प्रशिक्षण एजेंसी/एजेसियों के चयन के लिए रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करती है। प्रशिक्षित कर्मियों के विकास के प्रयोजन से उपयुक्त अवधि एक, दो, तीन दिवस, एक तथा दो सप्ताह के विभिन्न प्रकार के विषय पर प्रशिक्षण को 15 से 20 फील्ड सुपरवाइजर, स्टाफ, कृषक, उद्यमी इत्यादि समूह हेतु आयोजित किया जाना अपेक्षित है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम दिल्ली अथवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गैर–आवासीय आधार पर आयोजित किये जाएगें।

बागवानी के विभिन्न विषयों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित योग्यता, पात्रता, विशिष्ट आकार को वित्तीय आवश्यकता रूचि अभिव्यक्ति के संदर्भ में विकास विभाग की वेबसाइट **www.developmjent.delhigovt.nic.in** पर भी देखा व डाउनलोड किया जा सकता है।

रूचि की अभव्यक्ति हेतु आवेदक पूर्ण रूप से तैयार अभिव्यक्ति संबंधी प्रस्ताव को 25,000/– रूपये (पच्चीस हजार रूपये) के डिमांड ड्राफ्ट धरोहर राशि (वापसी योग्य), जो कि मैंबर सेक्रट्री, दिल्ली राज्य बागवानी मिशन सोसायटी के नाम पर देय हो, सहित मुहरबंद लिफाफे में शीर्षक ''प्रशिक्षण हेतु रूचि की अभिव्यक्ति'' अंकित कर **15–10–2008** दोहपर **2.00 बजे** तक संयुक्त निदेशक (कृषि)/मेंबर सेकेट्री, दिल्ली राज्य बागवानी मिशन, ग्वारहवीं मंजिल, एम.एस.ओ. बिल्डिंग, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली–2 के पता पर दे सकते है। उक्त अभिव्यक्ति उसी दिन दोहपर तीन बजे खोली जायेंगी। बिना धरोहर राशि वाले आवेदन/दर पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। केवल सरकारी/सरकारी उपक्रम व सहकारी संस्था को बिना धरोहर राशि रूचि की अभिव्यक्ति जमा करने की छूट है।

पूर्ण विवरण एवं जानकारी हेतु कृप्या विकास विभाग, दिल्ली सरकार की उपरोक्त वेबसाईट के टेंडर सेक्शन पर भी देख सकते हैं। आवेदक द्वारा किसी स्पष्टीकरण अथवा अन्य पूछताछ हेतु कार्य दिवसों में कार्यालय के टेलीफोन नं. 23317559 तथा 23319290 पर संपर्क किया जा सकता हैं। यदि किसी कारणवंश रूचि की अभिव्यक्ति जमा करने अथवा खोलने का दिन अवकाश घोषित किया जाता है तो रूचि की अभिव्यक्ति जमा करना अथवा खोलना अगले कार्य दिवस में पूर्व निर्धारित समय पर जमा/खोली जाएंगी।

****